TIME BOUND

महत्वपूर्ण

संख्या–572/68–5–2019 –15(149)/10 टी0सी0–1

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, प्रयागराज।

लखनऊः दिनांक: 17 जून, 2019

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

विषयः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियत्रणाधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु जनपद के अन्दर समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–शि0नि0(बे0)/16208/2019–20, दिनांक 27–05–2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु जनपद के अन्दर समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु जनपद के अन्दर समायोजन के लिए निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:–

(1) जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समिति–

1– जिलाधिकारी– अध्यक्ष,
2– अपर जिलाधिकारी – सदस्य
3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी– सदस्य सचिव
4– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामित एक सदस्य (सम्बन्धित जनपद) – सदस्य
5– जनपद मुख्यालय पर कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारी– सदस्य

(2) परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन हेतु पदों का निर्धारण–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली–2011 के नियम–21 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद के अन्दर समायोजन हेतु निम्नवत व्यवस्था प्रख्यापित है–

21–(1) जिला मजिस्ट्रेट अपने–अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या अधिसूचना करेगा/ऐसी अधिसूचना जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या सम्बन्धित विद्यालय को एवं स्थानीय प्राधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी सूचित की जायेगी;

परन्तु ऐसी अधिसूचना के दो माह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट उन विद्यालयों के अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा, जहाँ उपनियम–(1) में निर्दिष्ट अधिसूचना जारी होने के पूर्व अध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक हो।

–2–

(2) जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के पूर्व स्वीकृत विनिर्दिष्ट शिष्य–अध्यापक अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय की अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण करेगा तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा।

(3) क– **<u>समायोजन की कार्यवाही</u>–**

समायोजन हेतु निम्न प्रारूप पर सूचना संरक्षित की जायेगीः–

1– विद्यालय का नाम, यू–डायस कोड सहित।

2– विगत वर्ष का अधिकतम नामांकन।

3– शिक्षक की आवश्यकता (आर0टी0ई0 मानक के अनुसार)

4– कार्यरत अध्यापक की संख्या।

5– अध्यापकों की कमी/अधिकता।

6– भविष्य में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत जनपद में विद्यालयों में बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है तो समायोजन के माध्यम से यथावश्यकता नवीन समायोजन का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में निहित रहेगा।

ख– प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक–छात्र अनुपात के आधार पर पदों का निर्धारण होने के उपरान्त सर्वप्रथम अध्यापकों के समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

ग– जिन विद्यालयों में अध्यापक–छात्र मानक से अधिक अध्यापक कार्यरत है वहाँ से उनको हटाकर आवश्यकता वाले विद्यालयों में तैनात किया जायेगा।

घ– इसके उपरान्त ही यदि कोई शिक्षक जनपद के भीतर एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक (ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगरीय से नगरीय क्षेत्र में) पारस्परिक समायोजन चाहता है तो उस पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा। ग्रामीण से नगर क्षेत्र में एवं नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पारस्परिक समायोजन नहीं किया जाएगा। समायोजन में यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित के अध्यापकों की उपलब्धता रहे।

ड– अध्यापक–छात्र संख्या के आंकलन के क्रम में मानक से अधिक अध्यापक/अध्यापिकाओं को अन्यत्र समायोजित किये जाने के पश्चात संबंधित विद्यालय में किसी अन्य अध्यापक का समायोजन नहीं किया जायेगा।

च– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समायोजन के उपरान्त कोई विद्यालय बन्द एवं एकल न रह जाये।

छ– ऐसे विद्यालय जहाँ पर छात्राओं का नामांकन अधिक है, उन विद्यालयों में कम से कम एक महिला अध्यापिका की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाय। जिलाधिकारी इसमें विवेकानुसार आवश्यकता निर्धारित करेंगे। जनपद स्तरीय समिति द्वारा समायोजन में दिव्यांग एवं सेना में कार्यरत जवान के पति/पत्नी को वरीयता दी जायेगी।

ज– जनपद में समायोजन प्रकिया में किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति सक्षम होगी।

–3–

झ— जनपद में समायोजन की कार्यवाही 15 जुलाई, 2019 तक पूर्ण कर ली जाये तथा उसके उपरान्त कोई भी जनपदीय समायोजन नहीं किया जायेगा।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु जनपद के अन्दर समायोजन की कार्यवाही उक्त निर्धारित प्रकियानुसार पारदर्शितापूर्ण ढंग से सुनिश्चित की जाये। उक्त समायोजन हेतु विद्यालयवार अध्यापकों का आंकलन, नामांकन एवं नामांकन के सापेक्ष वास्तविक रूप से उपस्थित छात्रों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। जनपदीय समिति को उपस्थित छात्रों की वास्तविक संख्या से अवगत कराने का कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। इसमें त्रुटि के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। किसी भी स्तर पर अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीया,

17/6/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2— राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0/निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
3— निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
4— निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5— वित्त नियन्त्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6— समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त प्राचार्य, डायट, उत्तर प्रदेश ।
7— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
9— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।